

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

नैनीताल

रिट याचिका संख्या 1000/2007 (एस/एस)।

माधो सिंह बिष्ट पुत्र श्री अमर सिंह बिष्ट वर्तमान में कुक/प्रबंधक प्रभारी पर्यटक विश्राम गृह, खेतीखान जिला-चंपावत, उत्तराखंड, के पद पर तैनात

याचिकाकर्ता

बनाम

1. उत्तराखंड राज्य द्वारा सचिव, स्थानीय निकाय, उत्तराखंड शासन, देहरादून के माध्यम से

2. प्रबंध निदेशक, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड,

ओक पार्क, नैनीताल

3. महाप्रबंधक, पर्यटक विश्राम गृह, लोहाघाट जिला-चंपावत

प्रतिवादी

माननीय एम.ए.एम. घिल्डियाल, J.

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री ए.डी.त्रिपाठी को सुना, श्री एन.पी. शाह, विद्वान स्थायी वकील प्रतिवादी संख्या 1, उत्तराखंड राज्य, के लिए और श्री शशित सहारिया, विद्वान वकील प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए ।

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रबंध निदेशक, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, ओक पार्क, नैनीताल द्वारा पारित दिनांक 12.07.2007 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को कुछ आरोपों के लिए निलंबित कर दिया गया है।

आरोपों पर गौर करने पर, मुझे इस स्तर पर दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला, हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रतिवादी को निर्देश देना उचित होगा s प्रतिवादी संख्या 2 जल्द से जल्द जांच अधिकारी नियुक्त करें और जांच अधिकारी आरोप पत्र प्रस्तुत करने और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद जांच करेगा और जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई जांच पर आदेश पारित करेगा। पूरी प्रक्रिया इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। उन्हें आगे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

इस निर्देश के साथ, रिट याचिका का अंततः निपटारा किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(**एम.ए.एम. घिल्डियाल, J.**)

03.08.2007

VKS